

संख्या- 01 /2025/115W/9-2-2025/001-1892911

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 3/जनवरी, 2025

विषय-अर्बन प्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजनान्तर्गत क्षमता निर्माण, आई0ई0सी0 तथा प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A&OE) हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8/5565/अर्बन प्लड/2024-25, दिनांक-17.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर विकास विभाग की अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2215-02-191-03- 00-35 अर्बन प्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 करोड़ के सापेक्ष क्षमता निर्माण, आई0ई0सी0 तथा प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A&OE) हेतु रू0 05.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्बन प्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर विकास विभाग की अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 333.16 करोड़ में से क्षमता निर्माण, आई0ई0सी0 तथा प्रशासनिक एवं अन्य मदों (A&OE) हेतु धनराशि रू0 05.00 करोड़ (रू0 पांच करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंधों

1. प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त ही नियमानुसार ही व्यय की जायेगी।
2. कार्यों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।
3. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
4. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
5. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
6. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का

दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

7. अर्बन फ्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-1718/नौ-2-2024-01(एस0डब्ल्यू0डी0)/2024, दिनांक- 20.12.2024 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं उक्त योजनान्तर्गत समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 की शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021910300 अर्बन फ्लड/जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by ^{प्रदीप}

Satya Prakash Patel

(सत्य प्रकाश पटेल)

Date: 31-04-2025 17:39:09

संख्या- 01 /2025/II SWD/ 9-2-25 /001-1892911, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त महापौर, नगर निगम, उ0प्र0।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
8. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, (नगरीय) लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 व 2, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल (वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु)।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पटेल)

विशेष सचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-31/01/2025

प्रेषण संख्या:- 01
आवंटन आदेश संख्या:- 001-01-2025-11SWD-9-2-2025-001-1892911
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
03 - अर्बन फ्लड / जलप्लावन नियंत्रण एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2877-निदेशक - स्थानीय निकाय , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 50000000	50000000 50000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000000 50000000	50000000 50000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव